सूचना
का अधिकार

पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

पावरग्रिड

CP/RTI/2017/93

Date: 7th June, 2017

Shri Mahesh Ashok Teke,
Sambhaji Nagar Colony,
Vaijapur,
Distt.- Aurangabad – 423 701
Maharashtra

Sub: Information under Right to Information Act, 2005.

Dear Sir,

This has reference to your online RTI request on 26th May, 2017, seeking information under RTI Act, 2005.

The information sought is attached as **Annexure-I.**

First Appeal, if any, against the reply of CPIO may be made to the first appellate Authority within 30 days of the receipt of the reply of CPIO. Details of Appellate Authority at Corporate Centre, Gurgaon, under RTI Act, 2005 is as below:

Shri Ashwani Jain
Executive Director (CMG) & Appellate Authority
Corporate Centre, Power Grid Corporation of India Limited
"Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon – 122007, Haryana.
Email ID: aj@powergridindia.com
Phone No. 0124-2571962

Thanking you,

भवदीय,

(अजय होलानी)
अपर महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी
Email ID: **cpio.cc@powergrid.co.in**

Encl: As above

Annex-I

उत्तर : भारत सरकार के निगम,पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को दिनांक 24 दिसंबर 2003 के भारत सरकार के राजपत्र के द्वारा विद्युत अधिनियम, **2003** के संभाग 164 तथा भारतीय तार अधिनियम 1885 के भाग 3 संभाग 10 (ब) के अनुसार पावरग्रिड बिजली संचरण के तार खिंचने के लिए भूमि का प्रयोग कर सकती है। खंभो तथा लाईन के नीचे स्थित भूमि आधिग्रहण का प्रावधान नहीं है, तथा लाईन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात खंभो तथा लाईन के नीचे स्थित भूमि पर पहले की तरह ही खेती की गतिविधियां किसान द्वारा जारी रक्खी जा सकती है। इसी अधिनियम के भाग ॥।, संभाग 10(द) के अनुसार उपयोगकर्ता संस्थान सभी प्रभावित व्यक्तियों को उक्त कार्य के दौरान हुए नुकसान के लिये मुआवजा देगी । अत:, पावरग्रिड अपनी तारें स्थापित करने तथा उनके रख रखाव करने के दौरान नुकसान के एवज में भूमि के उत्तरधिकारियों को मुआवजा देती है ।

इस संदर्भ में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 15 अकटूबर 2015 को गाईड लाईन जारी किया है। गाईड लाईन में टावर के नीचे की भूमि के लिए भूमि मूल्य का 85% तथा ट्रांसमिशन लाईन के राईट आफ वे के लिए 15% अधिकतम भूमि के ह्रास मूल्य के भुगतान का प्रस्ताव है, इस संदर्भ में भूमि मूल्य का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त गाईड लाईन के संदर्भ में जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टर को कार्यान्वयन हेतु निर्देश जारी करने के पश्चात एक बार मुआवजे का भुगतान किया जायेगा। उपरोक्त गाईड लाईन ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

http://powermin.nic.in/sites/default/files/uploads/Guidelines for payment of compensation towards damages in regard.pdf